उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक B/7688 /
चार–12–14/10

जबलपुर, दिनांक 01/12/2021

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा)/प्रशासनिक अधिकारी(बजट)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित) पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोटः– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक **Reg(IT)(SA)/2021/953** दिनांक **12.07.2021** के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

1.12.2021
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा. क्रमांक 4124/21–ब(ए)/2021 भोपाल, दिनांक 08/11/2021

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म0प्र0)

विषय :– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को 01.07.2021 से पुनरीक्षित दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान करने बावत्।**

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–।। (बी) दिनांक 01.11.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) से पुनरीक्षित दरों के अनुसार मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) 2010, के नियम –9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी ।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 01.11.2021 के अनुक्रम में राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 01.07.2021 से 189 प्रतिशत से बढ़ाकर 196 प्रतिशत मंहगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है ।

1. पुनरीक्षित दरों से मंहगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II (बी) दिनांक 13.08.2021 में दर्शाई गई रीति से होगा ।
2. इस आदेश के तहत देय मंहगाई भत्ते का भुगतान 01.07.2021 से नगद किया जावेगा ।
3. मंहगाई भत्ते की गणना मूल वेतन, मंहगाई भत्ते वेतन के आधार पर की जावेगी ।
4. मंहगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जावेगा ।
5. इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी ।
6. एरियर के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जावेंगे जहां से उक्त अवधि के लिये संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सही/–
(गोपाल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग

No. 1/3/2008-E-II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

******

New Delhi, Dated 01-11-2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Revised rate of Dearness Allowance to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre–revised pay scale/Grade pay as per 6th Central Pay Commission, due from 01-07-2021

****

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(1)/2008-E II(B) dated 13th August, 2021 on the subject above and to say that the rate of Dearness Allowance in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies, who are continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission, shall be enhanced from the existing rate of 189% to 196% of the Basic Pay with effect from 1st July,2021.

2. The provision contained in paras 3,4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1(3)/2008-E-II(B) dated 29th August 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

Sd/-
(Nirmala Dev)
Director